रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2009/पौष 30, 1930
No. 11] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2009/PAUSA 30, 1930

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2009

सं. एल-7/145(160)/2008-सीईआरसी.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—(1) इस विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2008 है।

(2) ये विनियम 1-4-2009 से प्रवृत्त होंगे और जब तक इनका आयोग द्वारा पहले पुनर्विलोकन नहीं किया जाता या विस्तारित नहीं किए जाते, ये प्रारंभ की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त होंगे :

परंतु यह कि जहां कोई परियोजना या उसका भाग, इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किया जाता है और जिसका टैरिफ उस तारीख तक आयोग द्वारा अंतिम रूप से अवधारित नहीं किया गया है वहां यथास्थिति, ऐसी परियोजना या उसके भाग के संबंध में, टैरिफ 31-3-2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004 के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

2. **विस्तार तथा लागू होना** :—ये विनियम उन सभी मामलों को लागू होंगे जहां गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर आधारित से भिन्न उत्पादन केंद्र या उसके यूनिट या पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ अधिनियम की धारा 79 के अधीन पठित धारा 62 के अधीन आयोग द्वारा अवधारित किया जाना है।

3. **परिभाषाएं** :—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,

(1) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(2) "वास्तविक रूप से उपगत" से उपयोगी आस्ति के सृजन या अर्जन के लिए निधि, अर्थात् ईक्विटी और/या ऋण, जो वास्तविक रूप से नियोजित या नकद संदत्त की गई हो या नकद के समतुल्य हो, अभिप्रेत है और इसमें ऐसी वचनबद्धता या दायित्व सम्मिलित नहीं है जिसके लिए कोई संदाय नहीं किया गया है ;

(3) "अतिरिक्त पूंजीकरण" से परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् वास्तविक रूप से उपगत या उपगत होने वाला तथा विनियम 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के पश्चात् स्वीकृत पूंजी व्यय अभिप्रेत है ;

(4) उत्पादन केंद्र के संबंध में, 'सहायक ऊर्जा उपभोग' या 'एयूएक्स' से उत्पादन केंद्र के सहायक उपस्कर द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा की मानकीय मात्रा जिसमें उत्पादन केंद्र के भीतर ट्रांसफार्मर हानियां भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है और इसे उत्पादन केंद्र की सभी इकाइयों के जनरेटर टर्मिनलों पर उत्पादित कुल ऊर्जा की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त किया जाएगा ;

(5) 'संपरीक्षक' से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224 और 619 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियुक्त संपरीक्षक अभिप्रेत है ;

(6) उत्पादन केंद्र के संबंध में, "फायदाग्राही" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे किसी उत्पादन केंद्र से उत्पादित विद्युत का क्रय करता है या जिसका टैरिफ इन विनियमों के अधीन अवधारित किया जाता है ;

(7) संयुक्त आवर्तन ताप उत्पादन केंद्र कें संबंध में "ब्लॉक" के अंतर्गत दहन टर्बाइन जनरेटर (जनरेटरों), सहबद्ध अपशिष्ट तापन रिकवरी बायलर (बायलरों), संबद्ध स्टीम टर्बाइन जनरेटर और सहायक उपकरण सम्मिलित हैं ;

(8) "पूंजी लागत" से विनियम 7 में यथापरिभाषित पूंजी लागत अभिप्रेत है ;

(9) "विधि में परिवर्तन" से निम्नलिखित होने वाली कोई भी घटना अभिप्रेत है :–

(i) किसी विधि के अधिनियमन, प्रभावी करने, स्वीकार, प्रख्यापन, संशोधन, उपांतरण तथा निरसन ; या

(ii) सक्षम न्यायालय, अधिकरण या भारतीय सरकारी लिखतों द्वारा किसी विधि के निर्वचन में परिवर्तन, जो ऐसे निर्वचन के लिए विधि के अधीन अंतिम प्राधिकारी हैं ।

(iii) परियोजना के लिए किसी सक्षम कानूनी प्राधिकरण द्वारा परिवर्तन, किसी सहमति, अनुमोदन या अनुज्ञप्ति प्राप्त या अभिप्राप्त करना ।

(10) "आयोग" से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(11) "अंतिम तारीख" से परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के वर्ष के दो वर्ष के पश्चात् समाप्त होने वाले वर्ष का 31वां मार्च अभिप्रेत है और यदि परियोजना वर्ष के अंतिम तिमाही में वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित की जाती है तो अंतिम तारीख वाणिज्यिक प्रचालन के वर्ष के तीन वर्षों के पश्चात् समाप्त होने वाले वर्ष का 31वें मार्च होगी ;

(12) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" या "सीओडी" से, –

(क) थर्मल उत्पादन केंद्र के यूनिट या ब्लॉक के संबंध में, फायदाग्राही को सूचना देने के पश्चात् सफलतापूर्वक परीक्षा पर चलाकर अधिकतम निरंतर रेटिंग (एमसीआर) या संस्थापित क्षमता (आईसी) का प्रदर्शन करने के पश्चात् उन 0000 घंटों, जिनकी अनुसूचीकरण प्रक्रिया भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार पूर्णतः कार्यान्वित की जाती है, उत्पादन कंपनी द्वारा घोषित तारीख अभिप्रेत है तथा संपूर्णतः उत्पादन केंद्र के संबंध में, उत्पादन केंद्र की अंतिम यूनिट या ब्लाक की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अभिप्रेत है ;

(ख) हाइड्रो उत्पादन केंद्र के यूनिट के संबंध में, फायदाग्राहियों को सूचना देने के पश्चात् उन 0000 घंटों से, जिसकी अनुसूचीकरण प्रक्रिया भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार पूर्णतः कार्यान्वित की जाती है, उत्पादन कंपनी द्वारा घोषित

तारीख अभिप्रेत है, तथा संपूर्णतः उत्पादन केंद्र के संबंध में, फायदाग्राहियों को सूचना देने के पश्चात् सफलतापूर्वक परीक्षण पर चलाकर उत्पादन केंद्र की संस्थापित क्षमता की तत्स्थानी व्यस्तम क्षमता का प्रदर्शन करने के पश्चात् उत्पादन केंद्र द्वारा घोषित तारीख अभिप्रेत है :

टिप्पण

1. यदि तालाब या भंडारण के साथ हाइड्रो उत्पादन केंद्र अपर्याप्त जलाशय या तालाब स्तर के कारणों के लिए संस्थापित क्षमता की तत्स्थानी व्यस्तम क्षमता का प्रदर्शन करने में समर्थ नहीं हैं तो उत्पादन केंद्र की अंतिम यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख संपूर्णतः उत्पादन केंद्र की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के रूप में समझी जाएगी, परंतु यह कि जब ऐसे जलाशय/तालाब का स्तर भर जाता है तो उत्पादन यूनिट या उत्पादन केंद्र की संस्थापित क्षमता के ऐसे उत्पादन केंद्र के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह समकक्ष व्यस्तम क्षमता का प्रदर्शन करें ।

2. पूर्णतः नदी से चलने वाले उत्पादन केंद्र की दशा में, यदि यूनिट या उत्पादन केंद्र कम प्रवाह अवधि के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किया जाता है जब पानी ऐसे प्रदर्शन के लिए पर्याप्त नहीं हो तो ऐसे हाइड्रो उत्पादन केंद्र या यूनिट के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह पर्याप्त प्रवाह से उपलब्ध हो, जिससे वे संस्थापित क्षमता के समकक्ष व्यस्ततम क्षमता का प्रदर्शन कर सकें ।

(ग) पारेषण प्रणाली के संबंध में, उन 0000 घंटों से, जिनमें पारेषण प्रणाली के तत्व सफलतापूर्वक **प्रभारित और** परीक्षण प्रचालन के पश्चात् नियमित सेवा में है, पारेषण **अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित** तारीख अभिप्रेत है :

परंतु यह कि तारीख कलेंडर मास उन का वह पहला दिन होगी जिससे तत्व के लिए पारेषण प्रभार संदेय होंगे तथा उनकी उपलब्धता उस दिन से गणना में ली जाएगी :

परंतु यह और कि यदि पारेषण प्रणाली के तत्व नियमित सेवा के लिए तैयार है किंतु ऐसी सेवा, उन कारणों के लिए प्रदान करने से निवारित करती है जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, उसके प्रदायकर्ता या ठेकेदार ने प्रदान नहीं की है, तो आयोग तत्व के नियमित सेवा में आने के पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को अनुमोदित कर सकेगा ।

(13) "दिन" से 000 घंटे से आरंभ होने वाली 24 घंटे की अवधि अभिप्रेत है ;

(14) "घोषित क्षमता" या "डीसी" से थर्मल उत्पादन केंद्र के संबंध में, ईंधन की उपलब्धता पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए, किसी दिन या संपूर्ण दिन के किसी समय ब्लॉक के संबंध में ऐसे उत्पादन केंद्र द्वारा घोषित मेगावाट में एक्स-बस विद्युत परिदान करने के लिए क्षमता अभिप्रेत है,

(15) "डिजाइन ऊर्जा" से ऊर्जा की वह मात्रा अभिप्रेत है जिसे हाइड्रो उत्पादन केंद्र की 95% संस्थापित क्षमता के साथ 90% विश्वसनीय वर्ष में उत्पादित किया जा सकता है ।

(16) "विद्यमान उत्पादन केंद्र" 1.4.2009 से पूर्व की तारीख से वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित उत्पादन केंद्र अभिप्रेत है ;

(17) "विद्यमान परियोजना" 1.4.2009से पूर्व की तारीख से वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित परियोजना अभिप्रेत है ;

(18) थर्मल उत्पादन केंद्र के संबंध में, "सकल उष्मीयमान" या "जीवीसी" से, यथास्थिति, एक किलो ठोस ईंधन या एक लीटर द्रव ईंधन या एक घन मीटर गैसीय ईंधन के पूर्ण दहन द्वारा किलो कैलोरी (kcal) में उत्पादित ऊर्जा अभिप्रेत है ;

(19) "कुल केंद्र ताप दर" या "जीएचआर" से थर्मल उत्पादन केंद्र के उत्पादन टर्मिनलों पर एक किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा उत्पादित करने के लिए अपेक्षित के.सी.ए.एल. में ताप ऊर्जा अभिप्रेत है ;

(20) "इन्फर्म ऊर्जा" से उत्पादन केंद्र की इकाई या ब्लॉक के वाणिज्यिक प्रचालन के पूर्व ग्रिड में डाली गई विद्युत अभिप्रेत है ;

(21) "संस्थापित क्षमता" या "आईसी" से उत्पादन केंद्र में सभी यूनिटों की दर्ज क्षमता या समय-समय पर, आयोग द्वारा तथा अनुमोदित उत्पादन केंद्र (जनरेटर टर्मिनलों पर माने जाने वाले) की क्षमता का संकलन अभिप्रेत है ;

(22) "कार्यान्वयन करार" से पारेषण प्रणाली के संनिर्माण के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा दीर्घकालिक पारेषण ग्राहक के बीच हुआ करार, संविदा या समझौता-ज्ञापन, या कोई ऐसी प्रसंविदा अभिप्रेत हैं ;

(23) "अंतर-राज्यिक उत्पादन केंद्र" या "आईएसजीएस" का वही अर्थ होगा जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता में है ;

(24) "दीर्घकालिक पारेषण ग्राहक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास पारेषण प्रभारों के संदाय के आधार पर अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग करने का दीर्घकालिक संविदात्मक अधिकार है ;

(25) थर्मल उत्पादन केंद्र की इकाई के संबंध में, "अधिकतम सतत् रेटिंग" या "एमसीआर" से निर्धारित पैरामीटरों पर विनिर्माताओं द्वारा गारंटीकृत उत्पादन टर्मिनलों पर अधिकतम सतत् उत्पादन और संयुक्त चक्रीय ताप ऊर्जा उत्पादन केंद्र के ब्लाक के संबंध में, जल/स्टीम इन्जेक्शन (यदि लागू हो) सहित विनिर्माता द्वारा गारंटीकृत तथा 50 एचजेड ग्रिड फ्रिक्वेंसी और विनिर्दिष्ट स्थल स्थिति पर परिशोधित उत्पादन टर्मिनलों पर अधिकतम सतत् उत्पादन अभिप्रेत है ;

(26) पारेषण प्रणाली के उपयोग के संदर्भ में, "मध्यम अवधि" से तीन मास से अधिक की अवधि तथा तीन वर्ष तक की अवधि अभिप्रेत है ;

(27) थर्मल उत्पादन केंद्र की दशा में "मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक" या "एनएपीएएफ" से थर्मल उत्पादन केंद्र के लिए विनियम 26 तथा हाइड्रो उत्पादन केंद्र के लिए विनियम 27 में यथा विनिर्दिष्ट उपलब्धता कारक अभिप्रेत है ;

(28) "प्रचालन और रखरखाव व्यय" या "ओएंडएम व्यय" से परियोजना या उसके भाग के प्रचालन और रखरखाव में उपगत व्यय अभिप्रेत है और इसमें जन शक्ति, मरम्मत, फालतू, उपभोज्य वस्तुएं, बीमा और अन्य खर्चें सम्मिलित है ;

(29) "मूल परियोजना लागत" से आयोग द्वारा यथास्वीकृत अंतिम तारीख तक परियोजना के मूल विस्तार के लिए, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपगत वास्तविक व्यय अभिप्रेत है ;

(30) किसी अवधि के लिए उत्पादन कंपनी के संबंध में, "संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ)" से उन सभी दिनों के लिए दैनिक घोषित क्षमता (डीसी) का औसत अभिप्रेत है जिस अवधि के दौरान वह गौण ऊर्जा खपत द्वारा कम की गई उत्पादन केंद्र की संस्थापित क्षमता की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त होती है ;

(31) "परियोजना" से यथास्थिति, उत्पादन केंद्र या पारेषण प्रणाली अभिप्रेत है तथा हाइड्रो उत्पादन केंद्र की दशा में, उत्पादन प्रसुविधा के सभी संघटक, जैसे ऊर्जा उत्पादन के लिए यथानुपातिक डाम, इंटेक, जल कंडेक्टर प्रणाली, ऊर्जा उत्पादन केंद्र तथा स्कीम की उत्पादन यूनिटें सम्मिलित हैं ;

(32) "नदी से चलने वाले उत्पादन केंद्र" से ऐसा हाइड्रो उत्पादन केंद्र अभिप्रेत है जिसमें कोई धारा प्रतिकूल तालाब नहीं है ;

(33) "तालाब के साथ नदी से चलने वाले उत्पादन केंद्र" से ऊर्जा मांग के दैनिक परिवर्तन को पूरा करने के लिए पर्याप्त तालाब के साथ हाइड्रो उत्पादन केंद्र अभिप्रेत है ;

(34) "रेटित वोल्टता" से विनिर्माता की वह डिजाइन वोल्टता अभिप्रेत है जिस पर पारेषण प्रणाली प्रचालन के लिए डिजाइन की गई है और इसमें ऐसी निम्न वोल्टता सम्मिलित है जिस पर दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों के परामर्श से कोई भी प्रभारित या तत्समय के लिए पारेषण लाइन प्रभारित की जाती है ;

(35) "अनुसूचित ऊर्जा" से संबंधित भार प्रेषण केंद्र द्वारा संपूर्ण दिन उत्पादन केंद्र द्वारा ग्रिड में अंतःक्षेपित की जाने वाली अनुसूचित ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है ;

(36) किसी समय पर या किसी अवधि या समय ब्लाक के लिए "अनुसूचित उत्पादन" या "एसजी" से संबंधित भार प्रेषण केंद्र द्वारा दी गई मेगावाट या एमडब्ल्यूएच एक्स-बस में उत्पादन की अनुसूची अभिप्रेत है ;

टिप्पण

ओपन साइकल गैस टर्बाइन उत्पादन केंद्र या संयुक्त साइकल उत्पादन के लिए, किसी समय ब्लाक के लिए औसत फ्रिक्वेंसी 49.52 एचज्येड से कम है किंतु 49.02 एचज्येड से कम नहीं है तथा अनुसूचित उत्पादन घोषित क्षमता के 98.5% से अधिक है तो अनुसूचित उत्पादन को घोषित क्षमता के 98.5% तक कम किया गया समझा जाएगा, तथा किसी समय ब्लाक के लिए औसत फ्रिक्वेंसी 49.02 एचज्येड से अधिक है तथा अनुसूचित उत्पादन को घोषित क्षमता का 96.5% तक कम किया गया समझा जाएगा ।

(37) "लघु गैस टर्बाइन ऊर्जा उत्पादन केंद्र" से 50 मेगावाट या उससे कम के क्षमता रेंज में गैस टर्बाइन या ओपन साइकल गैस टर्बाइन/संयुक्त साइकल उत्पादन केंद्र अभिप्रेत तथा सम्मिलित है ;

(38) "भंडारण आकार के उत्पादन ऊर्जा केंद्र" से मांग के अनुसार विद्युत के उत्पादन के फेरफार को समर्थ बनाने के लिए बृहत भंडारण क्षमता से सहबद्ध हाइड्रो उत्पादन केंद्र अभिप्रेत हैं ;

(39) "पारेषण सेवा करार" से पारेषण प्रणाली के प्रचालनात्मक फेज के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा दीर्घकालिक पारेषण ग्राहक (ग्राहकों) के बीच हुए करार संविदा, समझौता-ज्ञापन या ऐसी कोई प्रसंविदा अभिप्रेत है ;

(40) "पारेषण प्रणाली" से उपकेंद्र से सहबद्ध या असहंबद्ध लाइन या लाइनों का समूह अभिप्रेत है तथा जिसमें पारेषण लाइनों तथा उपकेंद्रों से सहबद्ध उपस्कर भी सम्मिलित हैं ;

(41) संयुक्त साइकल थर्मल उत्पादन केंद्र के सिवाय थर्मल उत्पादन के संबंध में, "यूनिट" से स्टीम जैनरेटर, टर्बाइन जनरेटर तथा गौण उपकरण अभिप्रेत हैं, या संयुक्त साइकल थर्मल उत्पादन केंद्र के संबंध में, टर्बाइन जेनरेटर तथा गौण उपकरण तथा हाइड्रो उत्पादन केंद्र के संबंध में टर्बाइन जनरेटर तथा इसके गौण उपकरण अभिप्रेत हैं ;

(42) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से उत्पादन केंद्र तथा पारेषण प्रणाली के यूनिट के संबंध में "उपयोगी जीवनकाल" से निम्नलिखित अभिप्रेत है, अर्थात् :–

(क) कोयला/लिग्नाइट आधारित थर्मल उत्पादन केंद्र	25 वर्ष
(ख) गैस/द्रव ईंधन आधारित थर्मल उत्पादन केंद्र	25 वर्ष
(ग) एससी तथा डीसी उप-केंद्र	25 वर्ष
(घ) हाइड्रो उत्पादन केंद्र	35 वर्ष
(ङ) पारेषण लाइन	35 वर्ष

(43) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ;

(44) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों तथा जो इसमें परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है ।

अध्याय 2

टैरिफ अवधारण के लिए प्रक्रिया तथा पूंजी लागत की संगणना तथा पूंजी संरचना

4. **टैरिफ अवधारण** (1) उत्पादन केंद्र के संबध में, टैरिफ संपूर्ण उत्पादन केंद्र या उत्पादन केंद्र प्रक्रम या यूनिट या ब्लॉक के लिए अवधारित किया जा सकेगा तथा पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ का अवधारण संपूर्ण पारेषण लाइन या पारेषण लाइन या उपकेंद्रों के लिए किया जा सकेगा ।

(2) टैरिफ के अवधारण के प्रयोजन के लिए, परियोजना की पूंजी लागत, प्रक्रमों में तथा परियोजना के सुभिन्न यूनिटों या ब्लॉकों, पारेषण लाइनों तथा उप-प्रणाली के प्ररुपिक भाग होगी :

परंतु यह कि जहां पारेषण लाइनों या उपकेंद्रों के विभिन्न प्रक्रमों या यूनिटों या ब्लॉकों के लिए परियोजना की पूंजी लागत का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है और चालू परियोजनाओं की दशा में, प्रसामान्य प्रसुविधाओं यूनिटों, लाइन की लंबाई तथा बेजों की संख्या के आधार पर विभाजित की जाएंगी :

परंतु यह और कि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत संघटकों के साथ बहुउद्देशीय हाइड्रो स्कीमों के संबंध में केवल स्कीम के विद्युत संघटक के लिए प्रभार्य पूंजी लागत पर टैरिफ के अवधारण के लिए विचार किया जाएगा ।

5. **टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन** (1) यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उत्पादन केंद्रों या पारेषण लाइनों या पारेषण प्रणाली के उपकेंद्रों, पूर्ण अथवा आवेदन की तारीख से छह मास के भीतर पूर्ण होने के लिए प्रक्षेपित पारेषण के उपकेंद्रों के संबंध में टैरिफ के अवधारण के लिए समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन का प्रकाशन और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2004 या उसकी किसी कानूनी पुनः अधिनियमिति के अनुसार आवेदन कर सकेंगे ।

(2) यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक लेखा परीक्षकों द्वारा सम्यक्तः प्रमाणित वास्तव में उपगत या उपगत होने के लिए प्रक्षपित पूंजी व्यय या उत्पादन केंद्र अथवा पारेषण प्रणाली टैरिफ अवधि के दौरान लेखा परीक्षकों द्वारा सम्यक्तः

प्रमाणित वास्तव में उपगत या उपगत होने के लिए प्रक्षपित अतिरिक्त पूंजी व्यय पर आधारित टैरिफ के अवधारण के लिए परिशिष्ट I के अनुसार आवेदन करेगा :

परंतु यह कि विद्यमान परियोजना के मामले में आवेदन, स्वीकृत पूंजी लागत पर आधारित होगा, जिसके अंतर्गत 31.3.2008 तक पहले ही स्वीकृत कोई अतिरिक्त पूंजीकरण और टैरिफ अवधि 2009-14 के क्रमशः वर्षों के लिए अनुमानित अतिरिक्त पूंजी व्यय सम्मिलित है :

परंतु यह और कि जहां लागू हो, आवेदन में प्रक्षपित पूंजी लागत और अतिरिक्त पूंजी व्यय के लिए अंर्तनिहित पूर्वधारणाओं के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे ।

(3) विद्यमान परियोजना की दशा में, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के साथ तथा इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा टैरिफ के अनुमोदन की तारीख तक 1.4.2009 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए 31.3.2009 को लागू विद्यमान प्रभारों की बिलिंग फायदाग्राहियों या दीर्घकालिक ग्राहकों के अनंतिम बिल करना जारी रखेगा :

परंतु यह कि जहां प्रभारित अनंतिम टैरिफ इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित अंतिम टैरिफ से अधिक है या कम है तो यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी संबंधित/क्रमिक वर्ष के 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की लघुकालिक मुख्य उधार दर के बराबर रकम पर साधारण ब्याज के साथ छह मास के भीतर, यथास्थिति, फायदाग्राहियों या पारेषण ग्राहकों को वापस करेगा/उनसे वसूल करेगा ।

6. **पूंजी लागत और टैरिफ का टूइंग अप**

(1) आयोग टूंइग-अप के समय 31.3.2014 तक आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के पश्चात् यथा स्वीकृत, अतिरिक्त पूंजी व्यय सहित पूंजी व्यय के संबंध में अगली टैरिफ अवधि के लिए टैरिफ याचिका के साथ टूंइग अप अभ्यास करेगा :

परंतु यह कि, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपने विवेकानुसार, टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए 2013-14 के पूर्व एक बार और आयोग के समक्ष आवेदन कर सकेगा ।

(2) यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, 31.10.2014 तक उत्पादन केंद्र या उसकी यूनिट या ब्लॉक या पारेषण प्रणाली अथवा पारेषण लाइनों या उसके उपकेंद्रों के संबंध में टूइंग अभ्यास किए जाने के लिए इन विनियमों के परिशिष्ट 1 के अनुसार आवेदन करेगा ;

(3) यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए उपगत पूंजी व्यय और अतिरिक्त पूंजी व्यय, जो लेखा परीक्षकों द्वारा सम्यकतः संपरीक्षित और प्रमाणित हों, के ब्यौरे टूइंग अप के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत करेगा ;

(4) जहां टूइंग अप के पश्चात्, वसूल किया गया टैरिफ, आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन अनुमोदित टैरिफ से अधिक हो जाए तो, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, इस प्रकार वसूल की गई अधिक रकम उस वर्ष में 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक के लघु अवधि मूल उधार दर के बराबर की दर पर साधारण ब्याज सहित, यथास्थिति, हिताधिकारियों या पारेषण ग्राहक को वापस करेगा ।

(5) जहां टूइंग अप अभ्यास के पश्चात् वसूल किया टैरिफ, आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन अनुमोदित टैरिफ से कम हो तो, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी कम वसूल की गई रकम उस वर्ष में 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक के लघु अवधि मूल उधार दर के बराबर की दर पर साधारण ब्याज सहित, यथास्थिति, हिताधिकारियों या पारेषण ग्राहक से वसूल करेगा ।

(6) कम वसूल की गई या अधिक वसूल की गई रकम की वसूली या प्रतिसंदाय, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस वर्ष में एक अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक में लघु अवधि मूल उधार दर के बराबर की दर पर साधारण ब्याज सहित टूइंग अप अभ्यास के पश्चात् आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश की तारीख से छह महीनों के भीतर प्रारंभ होने वाली छह समान मासिक किस्तों में किया जाएगा ।

7. **पूंजी लागत** (1) किसी परियोजना के लिए पूंजी लागत में निम्नलिखित सम्मिलित है :

(क) निर्माण के दौरान ब्याज और प्रज्ञावान जांच के पश्चात् आयोग द्वारा यथा स्वीकृत परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक वित्त प्रभारों - (i) मानकीय ऋण के रूप में अधिक ईक्विटी मानते हुए नियोजित निधियों के 30% से अधिक वास्तविक ईक्विटी

की दशा में, नियोजित निधि के 70% के बराबर, या (ii) नियोजित निधि के 30% से अन्यून वास्तविक ईक्विटी की दशा में ऋण की वास्तविक रकम के बराबर होने के नाते ऋण पर - संनिर्माण के दौरान विदेशी मुद्रा जोखिम फेरफार के कारण हुए किसी लाभ या हानि सहित उपगत या उपगत होने के लिए प्रक्षेपित व्यय ;

(ख) विनियम 8 में विनिर्दिष्ट सीमा दरों के अधीन रहते हुए, पूंजीगत आरंभिक स्पेयर्स ; और

(ग) विनियम 9 के अधीन अवधारित अतिरिक्त पूंजी व्यय :

परंतु यह कि परियोजना की भाग बनने वाली आस्तियां, किंतु जो उपयोग में नहीं है, पूंजी व्यय में से निकाल दी जाएंगी ।

(2) आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के पश्चात्, पूंजी लागत, टैरिफ के अवधारण का आधार बनेगी :

परंतु यह कि उष्मीय उत्पादन केंद्र और पारेषण प्रणाली के मामले में, पूंजी लागत की प्रज्ञावान जांच समय-समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले बैंचमार्क संनियमों के आधार पर की जाएगी :

परंतु यह और कि ऐसे मामलों में जहां बैंचमार्क संनियम विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, विवेकी जांच में पूंजी व्यय वित्त योजना, निर्माण के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग, लागत आधिक्य, समय आधिक्य और ऐसे अन्य मामलों की तर्क संगति की समीक्षा सम्मिलित की जा सकेगी जिन्हें टैरिफ के अवधारण के लिए आयोग द्वारा समुचित समझा जाए :

परंतु यह और कि आयोग हाइड्रो विद्युत परियोजनाओं की पूंजी लागत की विधीक्षा किसी स्वतंत्र एजेंसी या विशेषज्ञ द्वारा किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा और ऐसी स्थिति में, ऐसी एजेंसियों या विशेषज्ञों द्वारा विधीक्षित परियोजना लागत को आयोग द्वारा संबंधित हाइड्रो उत्पादन केंद्र के लिए टैरिफ अवधारित करते समय विचार में लिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आयोग किसी विकासकर्ता, जो 31 मार्च, 2008 के भारत सरकार के संकल्प सं. 23/2/2005-आर एंड आर (जिल्द IV) द्वारा यथासंशोधित टैरिफ नीति में यथा अनुध्यात

राज्य के नियंत्रण या स्वामित्व वाली कंपनी न हो, की हाइड्रो-विद्युत परियोजनाओं के कमीशन करने की समय-सूची की समीक्षा और अनुमोदन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा :

परंतु यह भी कि जहां किसी राज्य सरकार द्वारा बोली की दो प्रक्रम वाली पारदर्शी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए किसी हाइड्रो उत्पादन केंद्र का स्थल किसी विकासकर्ता (जो राज्य के नियंत्रण या स्वामित्व वाली कंपनी नहीं है) को दिया गया है, वहां परियोजना स्थल आबंटित कराने के लिए परियोजना विकासकर्ता द्वारा उपगत या उपगत होने के लिए वचनबद्ध कोई व्यय पूंजी लागत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा :

परंतु यह भी कि ऐसे हाइड्रो उत्पादन केंद्र के मामले में पूंजी लागत में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे –

(क) यथा अनुमोदित राष्ट्रीय आर एंड आर नीति और आर एंड आर पैकेज के अनुसरण में परियोजना के अनुमोदित पुनर्वास और पुनःस्थापन (आर एंड आर) की योजना की लागत ; और

(ख) प्रभावित क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में परियोजना विकासकर्ता के 10% अंशदान की लागत :

परंतु यह भी कि जहां उत्पादन कंपनी और हिताधिकारियों के मध्य किया गया विद्युत क्रय करार या, यथास्थिति, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों के मध्य किया गया क्रियान्वयन करार और पारेषण सेवा करार वास्तविक व्यय की अधिकतम सीमा का उपबंध करे तो आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी व्यय में टैरिफ के अवधारण के लिए ऐसी अधिकतम सीमा पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह भी कि विद्यमान परियोजनाओं के मामले में, 1.4.2009 के पूर्व आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत और लेखापरीक्षकों द्वारा सम्यक्तः प्रमाणित वास्तव में उपगत और 31.3.2009 तक और टैरिफ अवधि 2009-14 के संबंधित वर्षों के लिए उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजी व्यय जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकार किया जाए, टैरिफ के अवधारण के लिए आधार होगा ।

8. **आरंभिक पुर्जे**

निम्नलिखित अधिकतम सीमा संनियमों के अधीन रहते हुए, आरंभिक पुर्जे, मूल परियोजना लागत की प्रतिशतता के रूप में पूंजीकृत होंगे :

(i) कोयला आधारित/लिग्नाइट चालित उष्मीय उत्पादन केंद्र - 2.5%

(ii) गैस टर्बाइन/संयुक्त आवर्तन उष्मीय उत्पादन केंद्र - 4.0%

(iii) हाइड्रो उत्पादन केंद्र - 1.5%

(iv) पारेषण प्रणाली

(क) पारेषण लाइन - 0.75%

(ख) पारेषण उपकेंद्र - 2.5%

(ग) श्रृंखला प्रतिकर युक्तियां और एचवीडीसी केंद्र - 3.5%

परंतु यह कि जहां आरंभिक पुर्जे के लिए बैंचमार्क संनियम विनियम 7 के खंड (2) के प्रथम परंतुक के अधीन पूंजी लागत के लिए बैंचमार्क संनियम के भाग रूप में प्रकाशित हुए हैं तो ऐसे संनियम यहां विनिर्दिष्ट संनियमों को अपवर्जित करते हुए लागू होंगे ।

9. **अतिरिक्त पूंजीकरण**

(1) प्रज्ञावान जांच के अधीन रहते हुए, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् और अंतिम तारीख तक वास्तव में उपगत या उपगत होने के लिए प्रक्षेपित कार्य की मूल परिधि के भीतर निम्नलिखित पूंजी व्यय, आयोग द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा :

(i) अनुन्मोचित दायित्व ;

(ii) निष्पादन के लिए आस्थगित कार्य ;

(iii) विनियम 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कार्य की मूल परिधि के भीतर आरंभिक पूंजी स्पेयर्स की उपाप्ति ;

(iv) माध्यस्थम् के पंचाट को पूरा करने या न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री का अनुपालन करने के लिए दायित्व ; और

(v) विधि में परिवर्तन :

परंतु यह कि व्यय अनुन्मोचित दायित्व और निष्पादन के लिए आस्थगित कार्यों के प्राक्कलन

के साथ कार्य की मूल परिधि में सम्मिलित संकर्मों के ब्यौरे टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(2) अंतिम तारीख के पश्चात् वास्तव में उगपत निम्नलिखित प्रकृति के पूंजी व्यय, विवेकी जांच के अधीन रहते हुए, आयोग के विवेकानुसार स्वीकृत किए जा सकेंगे :—

(i) माध्यस्थम् के पंचाट को पूरा करने या न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री का अनुपालन करने के दायित्व ;

(ii) विधि में परिवर्तन ;

(iii) कार्य की मूल परिधि में राख के ढेर या राख की उठाई-धराई प्रणाली से संबंधित आस्थगित कार्य ;

(iv) हाइड्रो उत्पादन केंद्रों के मामले में, प्राकृतिक आपदाओं (किंतु उत्पादन कंपनी की उपेक्षा के फलस्वरूप विद्युत गृहों के आप्लायन के कारण नहीं), जिसमें किसी बीमा स्कीम के आगम के लिए समायोजन के पश्चात् भौगोलिक कारण भी है, द्वारा कारित नुकसान के कारण होने वाले किसी व्यय और किसी अतिरिक्त कार्य जो सफल और दक्ष संयंत्र प्रचालन के लिए आवश्यक हो जाए, के कारण उपगत व्यय ; और

(v) पारेषण प्रणाली के मामले में, रिलेज, नियंत्रण और यंत्रीकरण, कंप्यूटर प्रणाली, विद्युत लाइन वाहक संसूचना, डीसी बैट्रियों, स्विच यार्ड का प्रतिस्थापन, दोष स्तर में वृद्धि के कारण उपस्कर, आपातकालीन पुनः स्थापन प्रणाली, पृथक्कारी सफाई अवसंरचना, बीमे के अंतर्गत न आने वाले हानिग्रस्त उपस्करों का प्रतिस्थापन जैसी मदों पर अतिरिक्त व्यय और कोई अन्य व्यय, जो पारेषण प्रणाली के सफल और दक्ष प्रचालन के लिए आवश्यक हो गया हो :

परंतु यह कि उपरोक्त उपखंडों (iv) और (v) के संबंध में, औजार और रस्से, फर्नीचर, वातानुकूलकों, वोल्टेज स्टेबलाइजरों, कंप्यूटरों, रेफ्रिजरेटरों, कूलरों, पंखों, कपड़ा धोने की मशीनों,

उष्मा परिवर्तकों, गद्दों, कालीन आदि जैसी छोटी मदों या आस्तियों को अर्जित करने पर हुए कोई अन्य व्यय, जिन्हें अंतिम तारीख के पश्चात् क्रय किया गया है, 1.4.2009 से टैरिफ अवधारण के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु विचार में नहीं लिया जाएगा ।

10. **नवीकरण और आधुनिकीकरण** (1) यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, नवीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडआर) पर व्यय को चुकाने के लिए, उत्पादन केंद्र या उसकी इकाई अथवा पारेषण प्रणाली के उपयोगी जीवनकाल के परे का विस्तार करने के प्रयोजन से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आयोग के समक्ष आवेदन करेगा । परियोजना रिपोर्ट में पूर्ण क्षेत्राधिकार औचित्य, लागत फायदा विश्लेषण, एक निर्देश तारीख से अनुमोदित जीवनकाल विस्तार, वित्तीय पैकेज, व्यय के चरण, पूरा होने की समय-सूची, निर्देश कीमत स्तर, विदेशी मुद्रा सहित काम पूरा होने की अनुमानित लागत, यदि कोई हो, हिताधिकारियों के साथ परामर्श का अभिलेख और ऐसी अन्य सूचना दी जाएगी जिसे उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुसंगत समझा जाए :

परंतु यह कि कोयला आधारित/लिग्नाइट चालित उष्मीय उत्पादन केंद्र के मामले में, उत्पादन कंपनी अपने विवेकानुसार, खंड (4) में विनिर्दिष्ट संनियमों के अनुसार उत्पादन केंद्र या उसकी यूनिट के उपयोगी जीवन के परे नवीकरण और आधुनिकीकरण सहित खर्चों को पूरा करने के लिए प्रतिकर के रूप में एक 'विशेष भत्ता' प्राप्त कर सकेगी और ऐसी स्थिति में पूंजी लागत के पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा तथा लागू प्रचालन संनियम को शिथिल नहीं किया जाएगा किंतु विशेष भत्ते को वार्षिक स्थिर लागत में सम्मिलित किया जाएगा :

परंतु यह भी कि ऐसा विकल्प उस उत्पादन केंद्र या यूनिट को उपलब्ध नहीं होगा जिसके लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण किया गया है और व्यय को आयोग द्वारा इन विनियमों के प्रारंभ के पूर्व स्वीकृत किया गया है, या उस उत्पादन केंद्र या यूनिट के लिए जो निःशेषित स्थिति में है या शिथिल प्रचालनात्मक तथा कार्य निष्पादन संनियमों के अधीन कार्य कर रही है ।

(2) जहां, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के अपने प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आवेदन करे, अनुमोदन, लागत प्राक्कलनों, की युक्तियुक्ता,

वित्त योजना, पूरा होने की समय-सूची, संनिर्माण के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग, लागत फायदा विश्लेषण और ऐसे अन्य तथ्यों पर, जो आयोग द्वारा सुसंगत माने जाएं, सम्यक्तः विचार करने के पश्चात् प्रदान किया जाएगा ।

(3) नवीकरण और आधुनिकीकरण व्यय तथा जीवनकाल विस्तार के प्राक्कलनों पर आधारित विवेकी जांच के पश्चात् आयोग द्वारा यथास्वीकृत वास्तव में उगपत या उपगत होने के लिए प्रक्षेपित व्यय और प्रतिस्थापित आस्तियों की मूल रकम को अपलिखित करने तथा मूल परियोजना लागत से पहले ही वसूल किए गए संचित अवक्षयण को घटाने के पश्चात् टैरिफ् के अवधारण के लिए आधार बनेंगे ।

(4) इस विनियम के खंड (1) के प्रथम परंतुक में वैकल्पिक विकल्प को अपनाने वाली उत्पादन कंपनी को कोयला आधारित/लिग्नाइट चालित उत्पादन केंद्रों के लिए वर्ष 2009-10 में 5 लाख रुपए/एमडब्ल्यू/वर्ष की दर पर एक विशेष भता अनुज्ञात किया जाएगा तथा उसके पश्चात् अगले वित्तीय वर्ष से यूनिट-वार किसी उत्पादन केंद्र की संबंधित यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के निर्देश से उपयोगी जीवनकाल पूरा होने की संबंधित तारीख से टैरिफ अवधि 2009-14 के दौरान वर्धित 5.72% प्रति वर्ष की दर पर अनुज्ञात किया जाएगा :

परंतु यह कि ऐसी यूनिट के संबंध में, जो 1.4.2009 को 25 वर्षों से अधिक अवधि से प्रचालन में हैं, यह भत्ता वर्ष 2009-10 से अनुज्ञेय होगा ।

11. **इंफर्म विद्युत का विक्रय** - इंफर्म विद्युत का प्रदाय अननुसूचित विनियम (यू.आई.) के रूप में संगणित किया जाएगा और इसका संदाय लागू आवृत्ति लिंक्ड यूआई दर पर प्रादेशिक या राज्य यूआईपूल खाते से किया जाएगा :

परंतु यह कि उत्पादन कंपनी द्वारा इंफर्म विद्युत के विक्रय से अर्जित कोई राजस्व, ईंधन खर्चों को गणना में लेने के पश्चात् पूंजी लागत में कमी के लिए उपयोजित किया जाएगा ।

12. **ऋण-साम्या अनुपात** (1) 1.4.2009 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित परियोजना के लिए, यदि वास्तव में लगाई गई साम्या पूंजी लागत के 30% से अधिक है तो 30% के आधिक्य में साम्या मानकीय ऋण का भाग समझी जाएगी :

परंतु यह कि जहां वास्तव में लगाई गई साम्या, पूंजी लागत के 30% से कम है, वहां टैरिफ के अवधारण के लिए वास्तविक साम्या पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह और कि विदेशी मुद्रा में विनिधान की गई साम्या, प्रत्येक विनिधान की तारीख को भारतीय रुपयों में अभिहित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण - यदि परियोजना के वित्त पोषण के लिए, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंश पूंजी जारी करते समय और इसकी मुक्त आरक्षिति से सृजित आंतरिक स्रोतों के विनिधान से कोई प्रीमियम लिया जाता है तो इसे साम्या पर प्रतिदाय संगणित करने के प्रयोजन के लिए संदत्त पूंजी के रूप में संगणित किया जाएगा परंतु यह तब जब उस प्रीमियम की रकम और आंतरिक स्रोतों का उपयोग, वास्तव में उत्पादन केंद्र या पारेषण प्रणाली के पूंजी व्यय को पूरा करने में हुआ हो ।

(2) 1.4.2009 के पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित उत्पादन केंद्र और पारेषण प्रणाली के मामले में, 31.3.2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए टैरिफ के अवधारण हेतु आयोग द्वारा अनुज्ञात ऋण-साम्या अनुपात पर विचार किया जाएगा :

(3) टैरिफ के अवधारण के लिए अतिरिक्त पूंजी व्यय के रूप में आयोग द्वारा 1.4.2009 को या उसके पश्चात् स्वीकृत उपगत या उपगत होने के लिए प्रक्षेपित कोई व्यय तथा जीवनकाल विस्तार के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण व्यय पर इस विनियम के खंड में विनिर्दिष्ट रीति से विचार किया जाएगा ।

अध्याय 3

टैरिफ की संगणना

13. **टैरिफ के संघटक** (1) थर्मल उत्पादन केंद्र से ऊर्जा के प्रदाय के लिए टैरिफ में दो भाग सम्मिलित होंगे, अर्थात् क्षमता प्रभार (विनियम 14 में विनिर्दिष्ट संघटकों से बनी वार्षिक नियम लागत की वसूली के लिए) तथा ऊर्जा प्रभार (प्रारंभिक ईंधन लागत तथा चूना पत्थर लागत जहां लागू हो, की वसूली के लिए)

(2) हाइड्रो उत्पादन केंद्र से विद्युत के प्रदाय के लिए टैरिफ में दो प्रभारो के माध्यम से (विनियम 14 में विनिर्दिष्ट संघटकों से मिलकर बने) वार्षिक नियत लागत की वसूली के लिए विनियम 22 में यथा उपबंधित रीति से व्युत्पन्न क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार सम्मिलित होंगे ।

(3) अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली पर विद्युत के पारेषण के लिए टैरिफ में इन विनियमों के विनियम 14 में विनिर्दिष्ट संघटकों से मिलकर बनी वार्षिक नियत लागत की वसूली के लिए पारेषण प्रभार सम्मिलित होंगे ।

14 **वार्षिक नियत लागत** : (1) उत्पादन केंद्र या पारेषण प्रणाली की वार्षिक नियत लागत (एएफसी) निम्नलिखित संघटकों से मिलकर बनेगी :–

(क) रिटर्न आन ईक्विटी ;

(ख) ऋण पूंजी पर ब्याज ;

(ग) अवक्षयण ;

(घ) कार्यकरण पूंजी पर ब्याज ;

(ङ) प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे ;

(च) गौण ईंधन तेल की लागत (केवल कोयला आधारित तथा लिग्नाइट चालित उत्पादन केंद्रों के लिए) ;

(छ) आर एंड एम के बदले विशेष भत्ता या पृथक् प्रतिकर भत्ता, जो भी लागू हो,

15. **रिटर्न आन ईक्विटी** (1) रिटर्न आन ईक्विटी विनियम 12 के अनुसार अवधारित ईक्विटी के आधार पर रुपए में संगणित की जाएगी ।

(2) रिटर्न आन ईक्विटी इस विनियम के खंड (3) के अनुसार कुल योग किए जाने वाले 15.5% की दर के आधार पर पूर्व-कर आधार पर अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु यह कि 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् अधिकृत परियोजनाओं की दशा में, 0.5% का अतिरिक्त रिटर्न तब अनुज्ञात किया जाएगा यदि ऐसी परियोजनाएं, यथास्थिति, बोर्ड विनिधान द्वारा अनुमोदन या सीसीए निकासी की तारीख से मानी गई परिशिष्ट 2 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पूरी की जाती हैं ।

परंतु यह और कि 0.5% का अतिरिक्त रिटर्न तब अनुज्ञेय नहीं होगा यदि परियोजना किसी भी कारण से उपरोक्त विनिर्दिष्ट यथा अनुबद्ध समय के भीतर पूरी नहीं की जाती है ।

(3) रिटर्न ऑन ईक्विटी की दर की संगणना, यथास्थिति, संबंधित उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को यथालागू वर्ष 2008-09 के लिए प्रसामान्य कर दर के साथ आधार दर का योग करके की जाएगी :

परंतु यह कि टैरिफ अवधि के दौरान क्रमिक वर्ष के सुसंगत वित्त अधिनियम के उपबंधों के आधार पर, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को लागू वास्तविक कर दर की बाबत रिटर्न आन ईक्विटी को अगली टैरिफ अवधि के लिए फाइल की गई टैरिफ याचिका के साथ टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक् रूप से ट्यूड-अप किया जाएगा ।

(4) रिटर्न आन ईक्विटी की दर तीन दशमलव के लिए पूर्णांकित की जाएगी तथा निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित की जाएगी :–

पूर्व-कर रिटर्न आन ईक्विटी की दर = आधार दर/(1-t)

जहां t इस विनियम के खंड (3) के अनुसार लागू कर दर है ।

दृष्टांत –

(i) 11.33% की दर पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), जिसमें अधिभार तथा उपकर भी है, का संदाय करने वाली उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की दशा में :

रिटर्न आन ईक्विटी की दर = 15.50/(1-0.1133) = 17.481%

(ii) 33.39% की दर पर विद्यमान निगमित कर जिसमें अधिभार तथा उपकर भी सम्मिलित है, का संदाय करने वाली उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की दशा में :–

रिटर्न आन ईक्विटी की दर = 15.50/(1-0.3399) = 23.481%

16. **ऋण पूंजी पर ब्याज** (1) विनियम 12 में उपदर्शित रीति से प्राप्त ऋणों पर ऋण पर ब्याज की संगणना के लिए सकल मानकीय ऋण के रूप में विचार किया जाएगा ।

(2) 1.4.2009 को बकाया मानकीय ऋण को सकल मानकीय ऋण से 31.3.2009 तक आयोग द्वारा यथास्वीकृत संचयी प्रतिसंदाय में कटौती करके तय किया जाएगा ।

(3) टैरिफ अवधि 2009-14 के अपने-अपने वर्ष के लिए प्रतिसंदाय को उस वर्ष के लिए अनुज्ञात अवक्षयण के समान समझा जाएगा :

(4) यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त किसी ऋणस्थगन अवधि के होते हुए भी, परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के पहले वर्ष से ऋण के प्रतिसंदाय पर विचार किया जाएगा तथा अनुज्ञात वार्षिक अवक्षयण के बराबर होगा ।

(5) ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ पर, यथास्थिति, उत्पादन केंद्र या पारेषण प्रणाली को लागू वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर संगणित ब्याज की भारित औसत दर होगी :

परंतु यह कि यदि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए वास्तविक ऋण नहीं है, किंतु मानकीय ऋण अभी भी बकाया है, तो ब्याज की अंतिम उपलब्ध भारित औसत दर पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि, यथास्थिति, उत्पादन केंद्र या पारेषण प्रणाली के पास वास्तविक ऋण नहीं है तो उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की ब्याज की भारित औसत दर पर पूर्णतः विचार किया जाएगा ।

(6) ऋण पर ब्याज की संगणना ब्याज की भारित औसत दर को लागू करके वर्ष के मानकीय औसत ऋण पर की जाएगी ।

(7) यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ब्याज पर कुल बचत के परिणामस्वरूप ऋण के पुनः वित्त का हर संभव प्रयास करेंगे जिससे कि उसका कुल फायदा फायदाग्राहियों को

मिल सके तथा ऐसे पुर्नवित्त से सहबद्ध लागत का वहन फायदाग्राहियों द्वारा किया जाएगा तथा शुद्ध लाभ को 2:1 के अनुपात में फायदाग्राही और उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के बीच विभाजित किया जाएगा ।

(8) ऋण के निबंधन तथा शर्तों में परिवर्तन को ऐसे पुर्नवित्त की तारीख से प्रदर्शित किया जाएगा ।

(9) किसी विवाद की दशा में, कोई भी पक्षकार विवाद के निटान के लिए समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संव्यवहार) विनियम, 1999 जिसमें उसकी कानूनी अधिनियमिति भी है, के अनुसार पर्याप्त आवेदन कर सकेगा :

परंतु यह कि फायदाग्राही या पारेषण ग्राहकों ऋण के पुर्नवित्त से उद्भूत किसी विवाद के लंबित होने के दौरान उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावों पर ब्याज के मद्दे किसी भी संदाय को नहीं रोकेंगे ।

17. **अवक्षयण** (1) अवक्षयण के प्रयोजन के लिए आधार मूल्य आयोग द्वारा स्वीकृत आस्ति की पूंजी लागत होगा ।

(2) आस्ति के सालवेज मूल्य पर 10% के रूप में विचार किया जाएगा तथा अवक्षयण आस्ति को पूंजी लागत के अधिकतम 90% तक अनुज्ञात किया जाएगा :

परंतु यह कि हाइड्रो उत्पादन केंद्र की दशा में, सालवेज मूल्य स्थल पर सृजन के लिए राज्य सरकार के साथ विकासकताओं द्वारा हस्ताक्षरित करार में यथा उपबंधित होगा :

परंतु यह और कि अवक्षणीय मूल्य की संगणना के प्रयोजन के लिए हाइड्रो उत्पादन केंद्र की आस्ति की पूंजी लागत विनियमित टैरिफ पर दीर्घकालिक ऊर्जा क्रय करार के अधीन विद्युत के विक्रय की प्रतिशतता की तत्स्थानी होगी ।

(3) पट्टे के अधीन धारित भूमि के सिवाय भूमि तथा हाइड्रो उत्पादन केंद्र की दशा में, जलाशय के लिए भूमि अवक्षणीय आस्ति नहीं होगी तथा इसकी लागत आस्तियों के अवक्षयण मूल्य की संगणना करते समय पूंजी लागत से अपवर्जित होगी ।

(4) उत्पादन केंद्र तथा पारेषण प्रणाली की आस्तियों के लिए अवक्षयण की संगणना स्ट्रेट लाइन पद्धति तथा इन विनियमों के परिशिष्ट - 3 में विनिर्दिष्ट दरों के आधार पर वार्षिक रूप से की जाएगी :

परंतु यह कि वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 12 वर्ष की अवधि के पश्चात्, वर्ष के 31वें मार्च को शेष अवक्षणीय मूल्य को आस्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल पर विस्तारित किया जाएगा ।

(5) विद्यमान परियोजनाओं की दशा में, 1.4.2009 को शेष अवक्षणीय मूल्य को आस्तियों के कुल अवक्षणीय मूल्य के 31.3.2009 तक आयोग द्वारा यथास्वीकृत संचयी अवक्षयण में कटौती करके तय किया जाएगा ।

(6) अवक्षयण वाणिज्यिक प्रचालन के पहले वर्ष से प्रभार्य होगा । वर्ष के भाग के लिए आस्ति के वाणिज्यिक प्रचालन की दशा में, अवक्षयण आनुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाएगा ।

18. **कार्यकरण पूंजी पर ब्यांज** (1) कार्यकरण पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

(क) कोयला आधारित/लिग्नाइट चालित थर्मल उत्पादन केंद्र

(i) कोयला या लिग्नाइट तथा चूना पत्थर की लागत, यदि लागू हो, मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक की तत्स्थानी उत्पादन के लिए पिट हेड उत्पादन केंद्रों के लिए 1-1/2 मास तथा गैर-पिट हैड उत्पादन केंद्रों के लिए दो मास ;

(ii) मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक की तत्स्थानी उत्पादन के लिए दो मास के लिए गौण ईंधन तेल की लागत तथा एक से अधिक गौण ईंधन तेल के उपयोग की दशा में, मुख्य गौण ईंधन तेल के लिए ईंधन तेल स्टाक की लागत ।

(iii) नियम 19 में विनिर्दिष्ट प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों का 20% की दर से रखरखाव पुर्जे ।

(iv) मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक पर संगणित विद्युत के विक्रय के लिए क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभारों के दो मास के बराबर प्राप्य ;

(v) एक मास के लिए प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे ।

(ख) ओपन साइकल गैस टर्बाइन/संयुक्त साइकल थर्मल उत्पादन केंद्र

(i) गैस ईंधन तथा तरल ईंधन पर उत्पादन केंद्र के प्रचालन की पद्धति को ध्यान में रखते हुए मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक की तत्स्थानी एक मास के लिए ईंधन लागत ;

(ii) 1/2 मास के तरल ईंधन स्टाक और एक से अधिक तरल ईंधन की दशा में, मुख्य तरल ईंधन की लागत ;

(iii) विनियम 19 में विनिर्दिष्ट प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों के 30% की दर से रखरखाव पुर्जे ;

(iv) गैस ईंधन तथा तरल ईंधन पर उत्पादन केंद्र के प्रचालन की पद्धति को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए, मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक पर संगणित विद्युत के विक्रय के लिए क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभारों के दो मास के समकक्ष प्राप्य ; और

(v) एक मास के लिए प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे ;

(ग) हाइड्रो उत्पादन केंद्र तथा पारेषण प्रणाली की दशा में :

(i) नियत लागत के दो मास के समकक्ष प्राप्य ;

(ii) विनियम 19 में विनिर्दिष्ट प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों का 15% की दर से रखरखाव स्पेयर्स ;

(iii) एक मास के लिए प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे ।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) तथा (ख) के अधीन सम्मिलित मामलों में ईंधन की लागत उत्पादन कंपनी द्वारा उपगत उधार लागत (मानकीय संक्रमण तथा उठाई-धराई हानियों को ध्यान में रखते हुए) तथा उस पहले मास, जिसके लिए टैरिफ अवधारित किया जाना है, के पूर्ववर्ती तीन मास

के लिए वास्तविक के अनुसार ईंधन की कुल क्लोरिफिक मूल्य के आधार पर होगी तथा टैरिफ अवधि के दौरान ईंधन कीमत उतार-चढ़ाव नहीं किया जाएगा ।

(3) कार्यकरण पूंजी पर ब्याज की दर मानकीय आधार पर होगी तथा 1.4.2009 को या उस वर्ष की पहली अप्रैल, जिस वर्ष में, यथास्थिति, उत्पादन केंद्र या उसके यूनिट या पारेषण प्रणाली वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किए जाते हैं, जो भी बाद में हो, भारतीय स्टेट बैंक की लघुकालिक प्राइम उधार दर के बराबर होगी ।

(4) कार्यकरण पूंजी पर ब्याज इस बात के होते हुए भी मानकीय आधार पर संदेय होगा कि उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने किसी बाहरी अभिकरण से कार्यकरण के लिए पूंजी ऋण नहीं लिया है ।

19. **प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे** : मानकीय प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :–

(क) खंड (ख) और (घ) में निर्दिष्ट उत्पादन केंद्रों के भिन्न कोयला आधारित तथा लिग्नाइट-चालित (सीएफबीसी तकनीकी सहित) उत्पादन केंद्र

(रुपए लाख में/मेगावाट)

वर्ष	200/210/250 मेगावाट सेट	300/330/350 मेगावाट सेट	500 मेगावाट सेट	600 मेगावाट तथा उससे ऊपर के सेट
2009-10	18.20	16.00	13.00	11.70
2010-11	19.24	16.92	13.74	12.37
2011-12	20.34	17.88	14.53	13.08
2012-13	21.51	18.91	15.36	13.82
2013-14	22.74	19.99	16.24	14.62

परंतु यह और कि उसी केंद्र में ऊपर संनियमों को अपने-अपने यूनिट आकार आकारों में अतिरिक्त यूनिटों के लिए, ऐसे यूनिटों के लिए जिनके वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2009 को या उसके पश्चात् घोषित हुई है, निम्नलिखित कारकों द्वारा गुणांकित किया जाएगा :

200/210/250 मेगावाट.	अतिरिक्त 5 तथा 6 यूनिटें	0.9
	अतिरिक्त 7 और उससे अधिक यूनिटें	0.85
300/330/350 मेगावाट	अतिरिक्त 4 तथा 5 यूनिटें	0.9
	अतिरिक्त 6 और उससे अधिक यूनिटें	0.85
500 मेगावाट और उससे ऊपर	अतिरिक्त 3 तथा 4 यूनिटें	0.9
	अतिरिक्त 5 तथा उससे ऊपर की यूनिटें	0.85

(ख) एनटीपीसी के तलचर थर्मल पावर स्टेशन (टीपीएस), टांडा टीपीएस, बदरपुर टीपीएस तथा डीवीसी के बोकारो टीपीएस, चंदरपुर टीपीएस तथा दुर्गापुर टीपीएस

(रुपए लाख में/मेगावाट)

वर्ष	तलचर टीपीएस	टांडा तथा चंदरपुर टीपीएस	बदरपुर तथा दुर्गापुर टीपीएस
2009-10	32.75	26.25	31.35
2010-11	36.64	27.75	32.25
2011-12	36.60	29.34	33.17
2012-13	38.70	31.02	34.12
2013-14	40.91	32.79	35.09

(ग) ओपन साइकल गैस टर्बाइन/संयुक्त साइकल उत्पादन केंद्र

(रुपए लाख में/मेगावाट)

वर्ष	लघु गैस टर्बाइन/ऊर्जा उत्पादन केंद्रों से भिन्न गैर टर्बाइन/संयुक्त साइकल उत्पादन केंद्र	लघु गैस टर्बाइन ऊर्जा उत्पादन केंद्र	अगरतला जीपीएस
(1)	(2)	(3)	(4)
2009-10	14.80	22.90	31.75
2010-11	15.65	24.21	33.57
2011-12	16.54	25.59	35.49
2012-13	19.49	27.06	37.52
2013-14	18.49	28.61	39.66

(घ) लिग्नाइट-चालित उत्पादन केंद्र

(रुपए लाख में/मेगावाट)

वर्ष	125 मेगावाट सेट	एनएलसी के टीपीएस-I
2009-10	24.00	27.00
2010-11	25.37	28.54
2011-12	26.82	30.18
2012-13	28.36	31.90
2013-14	29.98	33.73

(ङ) कोयला आधारित/लिग्नाइट चालित थर्मल उत्पादन केंद्र की दशा में, पूंजी प्रकृति जिसमे छोटी आस्तियों की प्रकृति भी सम्मिलित है, की नई आस्ति संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए यूनिट-वार पृथक् प्रतिकर, यथास्थिति, उपयोगी जीवनकाल के 10, 15 या 20 वर्ष पूरे होने वाले वर्ष के आगामी वर्ष से निम्नलिखित रीति से अनुज्ञेय होगा :–

प्रचालन का वर्ष	प्रतिकर भत्ता (रुपए लाख में/मेगावाट 1 वर्ष)
0-10	शून्य
11-15	0.15
16-20	0.35
21-25	0.65

(च) हाइड्रो उत्पादन केंद्र

(i) विद्यमान ऐसे उत्पादन केंद्रों, जो आधार वर्ष 2007-08 में 5 वर्ष या उससे अधिक वर्ष से प्रचालन में है, के लिए प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे, आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात् संपरीक्षित तुलन पत्रों, प्रसामान्य प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे को छोड़कर, के आधार पर वर्ष 2003-04 तथा 2007-08 के लिए वास्तविक प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों के आधार पर व्युत्पन्न होंगे ।

(ii) प्रज्ञावान जांच के पश्चात् वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक के लिए, प्रसामान्य प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों के क्रमशः, 2007-08 की कीमत स्तर पर प्रसामान्य प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों तक पहुंचने के लिए 5.17% प्रति वर्ष की दर पर वृद्धि की जाएगी तथा 2007-08 के कीमत स्तर पर वर्ष 2003-04 से 2007-08 के लिए प्रसामान्यीकृत औसत प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों पर पहुंचने के लिए औसत निकाली जाएगी । 2007-08 कीमत स्तर पर औसत प्रसामान्य प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों में वर्ष 2009-10 के लिए प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों तक पहुंचने के लिए 5.72% की दर पर वृद्धि की जाएगी :

परंतु यह कि आधार वर्ष 2009-10 के लिए प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों को वर्ष 2009-10 के लिए अनुज्ञेय प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों को तय करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के मद्दे कर्मचारी लागत में 50% की वृद्धि पर विचार करते हुए और सुव्यवस्थित किया जाएगा ।

(iii) वर्ष 2009-10 के लिए आधार प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों को टैरिफ अवधि के पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए अनुज्ञेय प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों पर 5.75% प्रति वर्ष की दर पर और वृद्धि की जाएगी ।

(iv) ऐसे हाइड्रो उत्पादन केंद्रों की दशा में, जो 1.4.2009 को पांच वर्ष की अवधि के लिए वाणिज्यिक प्रचालन में नहीं हैं, प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों को मूल परियोजना लागत के (पुर्नवास तथा पुर्नव्यवस्थापन संकर्मों की लागत को छोड़कर) 2% पर नियत किया जाएगा और ऐसे मामलों में, वर्ष 2007-08 तक प्रति वर्ष 5.17% की वृद्धि की जाएगी तथा 2007-08 की कीमत स्तर पर ओएंडएम खर्चों पर तय करने के लिए औसत निकाला जाएगा । तत्पश्चात् उसमें टैरिफ अवधि के क्रमशः वर्षों में प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों तक पहुंचने के लिए प्रति वर्ष 5.72% की दर पर वृद्धि की जाएगी :

(v) 1.4.2009 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित हाइड्रो

उत्पादन केंद्रों की दशा में, प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों को मूल परियोजना लागत (पुनर्वास तथा पुर्नव्यवस्थापन संकर्मों को छोड़कर) के 2% पर नियत किया जाएगा तथा पश्चात्वर्ती के लिए 5.72% प्रतिवर्ष की वार्षिक वृद्धि के अध्यधीन होगी ।

(छ) पारेषण प्रणाली

(i) प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों के लिए संनियम निम्नानुसार होंगे :

पारेषण प्रणाली के लिए ओएंडएम व्यय हेतु संनियम

	2009-10	2009-11	2009-12	2009-13	2009-14
उपकेंद्र के लिए संनियम (रुपए लाख/प्रति बे में)					
765 केवी	73.36	77.56	81.99	86.68	91.64
400 केवी	52.40	55.40	58.57	61.92	65.46
220 केवी	36.68	38.78	40.00	43.34	45.82
132 केवी तथा उससे निम्न	26.20	27.70	29.28	30.96	32.73
एसी तथा एचवीडीसी के लिए संनियम (रुपए लाख प्रति केएम)					
एकल सर्किट (चार या उससे अधिक उप-कंडेक्टरों के साथ बंडल्ड कंडेक्टर)	0.525	0.555	0.586	0.620	0.671
एकल सर्किट (दो या तीन कंडेक्टर)	0.350	0.370	0.391	0.413	0.447
एकल सर्किट (एकल सर्किट)	0.175	0.185	0.195	0.207	0.224
दोहरा सर्किट (चार या उससे अधिक सब-कंडेक्टरों के साथ बंडल्ड कंडेक्टर)	0.940	0.994	1.051	1.111	1.174
दोहरा सर्किट (दो या तीन कंडेक्टर)	0.627	0.633	0.701	0.741	0.783
दोहरा सर्किट (एकल सर्किट)	0.269	0.284	0.301	0.318	0.336
एचवीडीसी स्टेशन के लिए संनियम (रुपए लाख प्रति 100 मेगावाट क्षमता)					
एचवीडीसी बैक-2 बैक स्टेशन (500 मेगावाट प्रति लाख रुपए)	443.00	468.00	495.00	523.00	553.00
रिहंद - दादरी एचवीडीसी बाई-पोल स्कीम (रुपए लाख)	1450.00	1533.00	1621.00	1713.00	1811.00
तलचर - कोलार एचवीडीसी बाई-पोल स्कीम (रुपए लाख)	1699.00	1796.00	1899.00	2008.00	2122.00

(ii) पारेषण प्रणाली के लिए कुल अनुज्ञेय प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों की संगणना क्रमशः प्रति बे तथा प्रति केएम प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों के लिए लागू संनियमों के साथ बेजों की संख्या तथा लाइन लंबाई के किलोमीटर से गुणांकित करके संगणित की जाएगी ।

20. **कोयला तथा लिग्नाइट आधारित उत्पादन केंद्रों के लिए गौण ईंधन तेल खपत संबंधी खर्चे**

(1) रुपयों में गौण ईंधन तेल संबंधी खर्चों की संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार विनियम 26 के खंड (iii) में विनिर्दिष्ट मानकीय गौण ईंधन तेल खपत (एसएफसी) की तत्स्थानी की जाएगी :

$$= \text{एसएफ}_i\text{सी} \times \text{एलपीएसएफ}_i \times \text{एनएपीएएफ} \times 24 \times \text{एनडीवाई} \times \text{आईसी} \times 10$$

जहां,

$\text{एसएफसी}_{\text{एन}}$ – एमएल/केडब्ल्यूएच में मानकीय विनिर्दिष्ट ईंधन तेल खपत

एलपीएसएफ_i – प्रारंभिक रूप से विचार किए गए रुपए/एमएल में गौण ईंधन की भारित औसत उधार कीमत

एनएपीएएफ – प्रतिशतता में मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक

एनडीवाई – वर्ष में दिनों की संख्या

आईसी – मेगावाट में संस्थापित क्षमता

(2) आरंभिक रूप से गौण ईंधन तेल पर उत्पादन कंपनी द्वारा उपगत उधार कीमत लागत तीन पूर्ववर्ती मास की भारित, औसत कीमत की वास्तविकता के आधार पर तथा तीन पूर्ववर्ती मास की उधार लागत के अभाव में, वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, उत्पादन केंद्र के लिए नवीनतम अपर्याप्त कीमत के आधार पर की जाएगी ।

गौण ईंधन तेल खर्चे निम्नलिखित सूत्र के अनुसार टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर ईंधन कीमत समायोजन के अधीन रहते हुए होंगे :

एसएफसी x एनएपीएएफ x 24 x एनडीवाई x आईसी x 10 x (एलपीएसएफवाई-एलपीएसएफ_i)

जहां,

एलपीएसएफ$_{वाई}$ = वर्ष के लिए गौण ईंधन तेल की भारित औसत उधार कीमत, रुपए/एमएल में

21. **थर्मल उत्पादन केंद्रों के लिए क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभार की संगणना तथा संदाय**

(1) थर्मल उत्पादन केंद्र की नियत लागत को इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट संनियमों के आधार पर वार्षिक आधार पर संगणित किया जाएगा तथा क्षमता प्रभार के अधीन मासिक आधार पर वसूला जाएगा । उत्पादन केंद्र के लिए संदेय कुल क्षमता प्रभार को उत्पादन केंद्र की क्षमता में उनकी अपनी-अपनी प्रतिशतता अंश/आबंटन के अनुसार विभाजित किया जाएगा ।

(2) कलेंडर मास के लिए थर्मल उत्पादन केंद्र को संदेय क्षमता प्रभार (प्रोत्साहन को छोड़कर) की संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी :

(क) वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को दस (10) वर्षों से कम के लिए वाणिज्यिक प्रचालन में उत्पादन केंद्रों के लिए :

एएफसी x (एनडीएम/एनडीवाई) x (0.5+0.5 x पीएएफएम/एनपीएएफ) (रुपए में) ;

परंतु यह कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफवाई) 70% से कम है तो वित्तीय वर्ष के लिए कुल क्षमता प्रभार निम्नलिखित तक निर्बंधित होगा, –

एएफसी x (0.5+35/एनएपीएएफ) x (पीएएफवाई/70) (रुपए में) ;

(ख) वर्ष के 1 अप्रैल को, दस (10) वर्ष या उससे अधिक के लिए वाणिज्यिक प्रचालन में उत्पादन केंद्र के लिए :

एएफसी x (एनडीएम/एनडीवाई) x (पीएएफएम/एनपीएएफ) (रुपए में)

जहां,

एएफसी = वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक नियत लागत, रुपए में

एनएपीएएफ = प्रतिशतता में मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक

एनडीएम = मास में दिनों की संख्या

एनडीवाई = वर्ष में दिनों की संख्या

पीएएफएम = मास के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

पीएएफवाई = वर्ष के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक, रुपए में

(3) पीएएफएम तथा पीएएफवाई की संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{पीएएफएम और पीएएफवाई} = 10000 \times \sum_{i=1}^{\text{एन}} \text{डीसी}_i / \{\text{एन} \times \text{आईसी} \times (100-\text{एयूएक्स})\} \%$$

जहां,

एयूएक्स = प्रतिशतता में मानकीय अतिरिक्त ऊर्जा खपत

डीसी_i = दिन के समाप्त होने पर संबंधित भार प्रेषण केंद्र द्वारा यथा प्रमाणित, यथास्थिति, अवधि के i दिन के लिए अर्थात् मास या वर्ष नीचे खंड (4) के अधीन रहते हुए, औसत घोषित क्षमता (एक्स बस मेगावाट में)

आईसी = उत्पादन केंद्र की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

एन = अवधि के दौरान दिनों की संख्या, अर्थात्, यथास्थिति, मास या वर्ष

टिप्पण : डीसी i तथा आईसी को उन उत्पादन केंद्रों की क्षमता से अपवर्जित किया जाएगा जो वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित नहीं किए गए हैं । संबंधित अवधि के दौरान आईसी में परिवर्तन की दशा में, उसके औसत मूल्य को लिया जाएगा ।

(4) थर्मल उत्पादन केंद्र में ईंधन की कमी की दशा में, उत्पादन कंपनी आफ-पीक घंटो के दौरान ईंधन में बचत करके पीक-भार घंटों के दौरान उच्चतर मेगावाट देने का प्रस्ताव कर सकेगी । संबंधित भार प्रेषण केंद्र फायदाग्राहियों के साथ परामर्श करके अपनी मेगावाट तथा ऊर्जा क्षमता का अनुकूलतम उपयोग करने हेतु उत्पादन केंद्र के लिए व्यावहारिक डे-एहेड अनुसूची विनिर्दिष्ट कर सकेगा । ऐसी दशा में डीसी उस दिन के लिए संबंधित भार प्रेषण केंद्र द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम व्यस्ततम घंटा एक्स-ऊर्जा संयंत्र मेगावाट अनुसूची को बराबर किए जाने के लिए किया जाएगा ।

(5) ऊर्जा प्रभार में प्रारंभिक ईंधन लागत तथा चूना पत्थर खपत लागत (जहां लागू हों) सम्मिलित होगी तथा मास की ऊर्जा प्रभार दर (ईंधन तथा चूना पत्थर कीमत समायोजन के साथ) पर एक्स-ऊर्जा संयंत्र के आधार पर कलेंडर मास के दौरान ऐसे फायदाग्राही को प्रदाय किए जाने के लिए अनुसूचित कुल ऊर्जा के लिए प्रत्येक फायदाग्राही द्वारा संदेय होंगे । मास के लिए उत्पादन कंपनी को संदेय कुल ऊर्जा प्रभार निम्नलिखित होंगे :

(रुपए/केडब्ल्यूएच में ऊर्जा प्रभार दर) x [केडब्ल्यूएच में मास के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस)]

(6) एक्स-ऊर्जा संयंत्र के आधार पर रुपए प्रति केडब्ल्यूएच में ऊर्जा प्रभार दर (ईसीआर) निम्नलिखित सूत्र के अनुसार तीन दशमलव स्थानों को अवधारित करेगी :

(क) कोंयला आधारित तथा लिग्नाइट आधारित केंद्रों के लिए

ईसीआर = [(जीएचआर-एसएफसी x सीवीएसएफ) x एलपीपीएफ/सीवीपीएफ + एलसी x एलपीएल] x 100/(100-एयूएक्स)

(ख) गैस तथा तरल ईंधन आधारित केंद्रों के लिए

ईसीआर = जीएचआर x एलपीपीएफ x 100/[सीवीपीएफ x (100-एयूएक्स)]

जहां,

एयूएक्स = प्रतिशतता में मानकीय सहायक ऊर्जा खपत ।

सीवीपीएफ = यथाचालित प्रारंभिक ईंधन का कुल कलोरिफिक मूल्य, केसीएएल प्रति केजी में, प्रति लीटर या प्रतिमानक क्यूबिक मीटर, जो लागू हो ।

सीवीएसएफ = गौंण ईंधन का केलोरिफिक मूल्य, केसीएएल प्रति एमएल में

ईसीआर = ऊर्जा प्रभार दर, रुपयों में भेजे गए प्रति केडब्ल्यूएच में

जीएचआर = कुल केंद्र हीट दर, प्रति केडब्ल्यूएच के सीएएल में

एलसी = मानकीय चूना पत्थर खपत केजी प्रति केडब्ल्यूएच में

एलपीएल = चूना पत्थर में भारित औसत उधार कीमत रुपए प्रति केजी में

एलपीपीएफ = मास के दौरान प्रारंभिक ईंधन की उधार कीमत, रुपए प्रति केजी में, प्रति लीटर या प्रति मानक क्यूबिक मीटर, जो लागू हो

एसएफसी = विनिर्दिष्ट ईंधन तेल खपत, एमएल प्रति केडब्ल्यूएच में ।

(7) मास के लिए ईंधन की उधार लागत में यथा लागू स्वामिस्व, कर तथा शुल्क को छोड़कर ईंधन की श्रेणी तथा क्वालिटी की तत्स्थानी कीमत, रेल/सड़क या किसी अन्य साधनों द्वारा परिवहन लागत सम्मिलित होगी तथा कोयला/लिग्नाइट की दशा में मास के दौरान कोयला लिग्नाइट प्रदाय कंपनी द्वारा भेजे गए कोयले लिग्नाइट की मात्रा की प्रतिशतता के रूप में मानकीय संक्रमण तथा उठाई-धराई हानियों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित रूप में तय की जाएगी :

पिट हैड उत्पादन केंद्र	: 02%
गैर-पिट हैड उत्पादन केंद्र	: 0.8%

(8) चूना पत्थर की उधार कीमत उत्पादन केंद्र के लिए चूना पत्थर की उपाप्त कीमत के आधार पर, स्वामिस्व को छोड़कर,यथा लागू कर तथा शुल्क तथा परिवहन लागत के आधार पर ली जाएगी ।

(9) इस विनियम में यथा उपबंधित टैरिफ संरचना वार्षिक नियत लागत (एएफसी), मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ), संस्थापित क्षमता (आईसी), मानकीय सहायक ऊर्जा खपत (एयूएक्स) तथा ऐसे केंद्रों के लिए ऊर्जा प्रभार दर (ईसीआर) को विनिर्दिष्ट करके नाभिकीय उत्पादन केंद्रों के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा स्वीकार की जा सकेगी ।

22 हाइड्रो-उत्पादन केंद्रों के लिए क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार की संगणना तथा संदाय

(1) हाइड्रो उत्पादन केंद्र की नियत लागत की संगणना इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट संनियमों के आधार पर, वार्षिक आधार पर की जाएगी, तथा उस क्षमता प्रभार (प्रोत्साहन को छोड़कर) तथा ऊर्जा प्रभार के अधीन मासिक आधार पर वसूली जाएगी, जो उत्पादन केंद्र की बिक्री योग्य क्षमता में उनके अपने-अपने आबंटन के अनुपात में फायदाग्राहियों द्वारा संदेय होंगे अर्थात् गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा को छोड़कर क्षमता में :

परंतु यह कि उत्पादन केंद्र की पहली यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तथा उत्पादन केंद्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बीच की अवधि के दौरान वार्षिक नियत लागत को ऐसी अवधि के दौरान क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार संदाय का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए उत्पादन केंद्र के लिए पूरा होने की लागत के नवीनतम प्राक्कलन के आधार पर निकाला जाएगा ।

(2) कलेंडर मास के लिए हाइड्रो-इलैक्ट्रिक उत्पादन केंद्र को संदेय क्षमता प्रभार (प्रोत्साहन को छोड़कर) निम्नलिखित रूप में होंगे :

एएफसीx0.5x एनडीएम/एनडीवाई x (पीएएफएम/एनएपीएएफ) (रुपए में)

जहां,

एएफसी = वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक नियत लागत, रुपए में

एनएपीएएफ = प्रतिशतता में मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक

एनडीएम = मास में दिनों की संख्या

एनडीवाई = वर्ष में दिनों की संख्या

पीएएफएम = मास के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशतता में

(3) पीएएफएम निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा :

$$\text{पीएएफएम} = 1000 \times \sum_{i=1} \text{डीसी}_i / [\text{एन} \times \text{आईसी} \times (100 - \text{एयूएक्स})] \%$$

जहां,

एयूएस = प्रतिशतता में मानकीय सहायक ऊर्जा खपत

डीसी_i = दिन की समाप्ति के पश्चात् नोडल भार प्रेषण केंद्र द्वारा यथा प्रमाणित उस मास के iवें दिन के लिए घोषित क्षमता (एक्स-बस मेगावाट में) जिसमें केंद्र कम से कम तीन (3) घंटें के लिए परिदान कर सकता है ।

आईसी = संपूर्ण उत्पादन केंद्र की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

एन = मास में दिनों की संख्या

(4) ऊर्जा प्रभार संगणित ऊर्जा प्रभार दर पर, एक्स-बस ऊर्जा संयंत्र आधार पर कलेंडर मास के दौरान, फायदाग्राहियों को प्रदाय की जाने वाली अनुसूचित कुल ऊर्जा, निःशुल्क ऊर्जा को छोड़कर,

यदि कोई हो, के लिए प्रत्येक फायदाग्राही द्वारा संदेय होगा । मास के लिए उत्पादन कंपनी को संदेय कुल ऊर्जा प्रभार निम्नलिखित होंगे :

(रुपए/केडब्ल्यूएच में ऊर्जा प्रभार दर) x [(केडब्ल्यूएच में मास के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) x (100-एफईएचएस)/100]

(5) हाइड्रो उत्पादन केंद्र के लिए एक्स-ऊर्जा संयंत्र आधार पर रुपए प्रति केडब्ल्यूएच में ऊर्जा प्रभार दर (ईसीआर) को खंड (7) में उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित सूत्र के आधार पर तीन दशमलव स्थानों तक अवधारित की जाएगी :–

ईसीआर = एएफसी x 0.5 x 10/[डीई x (100-एयूएक्स) x (100-एफईएचएस)]

जहां,

डीई = नीचे खंड (6) में उपबंध के अधीन रहते हुए, एमडब्ल्यूएच में हाइड्रो उत्पादन केंद्र के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक डिजाइन ऊर्जा

एफईएचएस = विनियम 32 में यथापरिभाषित, प्रतिशत में गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा

(6) यदि वर्ष के दौरन हाइड्रो उत्पादन केंद्र द्वारा वास्तविक उत्पादित कुल ऊर्जा, उत्पादन कंपनी के नियंत्रण से परे कारणों से डिजाइन ऊर्जा से कम होती है तो रोलिंग आधार पर निम्नलिखित को लागू किया जाएगा :–

(i) यदि उत्पादन केंद्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से दस वर्ष के भीतर ऊर्जा में कमी आती है, तो ऊर्जा में कमी आए वर्ष के आगामी वर्ष के लिए ईसीआर की संगणना खंड (5) में विनिर्दिष्ट सूत्र के आधार पर इस उपांतरण के अधीन रहते हुए की जाएगी कि वर्ष के लिए डीई को उस पूर्व वर्ष के ऊर्जा प्रभार में कमी होने तक जिसके पश्चात् सामान्य ईसीआर लागू होगा, कमी आए वर्ष के दौरान उत्पादित वास्तविक ऊर्जा के बराबर माना जाएगा ;

(ii) यदि उत्पादन केंद्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 10 वर्ष के पश्चात् ऊर्जा में कमी आती है तो निम्नलिखित को लागू किया जाएगा :

माना केंद्र के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक ऊर्जा डीई, एमडब्ल्यूएच है और संबंधित (पहले) वर्ष तथा आगामी (दूसरे) वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वास्तविक ऊर्जा क्रमशः $ए^1$ तथा $ए^2$ एमडब्ल्यूएच है, $ए^1$ तथा $ए^2$ डीई से कम है, तब तीसरे वित्तीय वर्ष के लिए ईसीआर की संगणना करने हेतु इस विनियम के खंड (5) में दिए गए सूत्र में विचार की जाने वाली डिजाइन ऊर्जा को अधिकतम डीई एमडब्ल्यूएच तथा न्यूनतम एआई एमडब्ल्यूएच के अधीन रहते हुए, ($ए^1$ + $ए^2$ डीई) एमडब्ल्यूएच के रूप में संतुलित किया जाएगा ।

(iii) उत्पादित वास्तविक ऊर्जा (अर्थात् $ए^1$, $ए^2$) को 100/(100-एयूएक्स) द्वारा केंद्र से भेजी गई कुल मीटरित ऊर्जा को गुणांकित करके तय किया जाएगा ।

(7) यदि उपरोक्त खंड (5) में यथा संगणित, हाइड्रो उत्पादन केंद्र के लिए ऊर्जा प्रभार दर (ईसीआर), अस्सी पैसे प्रति केडब्ल्यूएच से अधिक होती है, तथा वर्ष में वास्तविक बिक्री योग्य ऊर्जा [डीई x (100-एयूएक्स) x (100-एफईएचएस)/1000] एडब्ल्यूएच से अधिक होती है, तो उपरोक्त से अधिक ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार को केवल अस्सी पैसे प्रति केडब्ल्यूएच पर बिल किया जाएगा ।

परंतु यह कि उस वर्ष के आगामी वर्ष में, जिसमें उत्पादन कंपनी के नियंत्रण के परे कारणों के लिए डिजाइन ऊर्जा उत्पादित कुल ऊर्जा से कम थी, ऊर्जा प्रभार दर को उस पूर्व वर्ष, जिसमें ऊर्जा में कमी आई है, के पश्चात् केवल अस्सी पैसे प्रति केडब्ल्यूएच तक की कमी की जाएगी ।

(8) उपलब्ध होने वाली घोषित सारी ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के लिए संबंधित भार प्रेषण केंद्र, फायदाग्राहियों के परामर्श से, हाइड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादन केंद्रों के लिए अनुसूची को अंतिम रूप देगा जिसे सभी फायदाग्राहियों के लिए उत्पादन केंद्र में उनके अपने-अपने आबंटनों के अनुपात में अनुसूचित किया जाएगा ।

23. **अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण प्रभारों की संगणना तथा संदाय**

(1) पारेषण प्रणाली की नियत लागत की संगणना इन विनियमों में अंतर्विष्ट संनियमों के अनुसार यथा समुचित संकलित, वार्षिक आधार पर की जाएगी तथा प्रणाली के उन उपयोक्ताओं से पारेषण प्रभारों के रूप में मासिक आधार पर वसूली जाएगी जो विनियम 33 में विनिर्दिष्ट रीति से इन प्रभारों को आपस में बाटेंगे ।

(2) पारेषण प्रणाली या उसके भाग के लिए कलेंडर मास के लिए संदेय पारेषण प्रभार (प्रोत्साहन को छोड़कर) निम्नानुसार होंगे :-

एएफसी x (एनडीएम/एनडीवाई) x (टीएएफएम/एनएटीएएफ)

जहां,

एएफसी = वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक नियत लागत, रुपए में

एनएटीएफ = मानकीय वार्षिक पारेषण कुल उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

एनडीएम = मास में दिनों की संख्या

एनडीवाई = वर्ष में दिनों की संख्या

टीएएफएम = मास के लिए पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक, प्रतिशत में, परिशिष्ट-4 के अनुसार संगणित ।

(3) उस पारेषण प्रणाली के भाग के लिए पारेषण प्रभारों का परिकलन फायदाग्राहियों द्वारा उनके अंश के अनुसार पृथक् रूप से किया जाएगा जिसके पास विभिन्न एनएटीएएफ है तथा उसके पश्चात् संकलित हो ।

(4) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी टीएएफएम के अपने प्राक्कलन के आधार पर मास के लिए पारेषण प्रभारों (प्रोत्साहन के साथ) के लिए बिल करेगा । समायोजन, यदि कोई हो, सुसंगत मास के अंतिम दिन से 30 दिन के भीतर संबंधित क्षेत्र के प्रादेशिक ऊर्जा समिति के सदस्य-सचिव द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले टीएएफएम के आधार पर किया जाएगा ।

24. **अननुसूचित विनिमय (यूआई) प्रभार** (1) उत्पादन केंद्रों के लिए वास्तविक कुल अंतःक्षेपण तथा अनुसूचित कुल अंतःक्षेपण के बीच सभी अंतर, तथा फायदाग्राहियों के लिए वास्तविक कुल निकासी तथा अनुसूचित कुल निकासी के बीच होने वाले अंतरों को उनके अपने-अपने उन अननुसूचित विनिमय प्रभारों के रूप में माना जाएगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर, विनिर्दिष्ट सुसंगत विनियमों द्वारा शासित होंगे ।

(2) प्रत्येक अंतरराज्यिक इकाई के वास्तविक कुल अनुसूचित विनिमय को केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा संस्थापित विशेष ऊर्जा मीटरों के माध्यम से उसकी सीमा पर मीटरित किया जाएगा तथा संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा प्रत्येक 15 मिनट के समय ब्लाक के लिए एमडब्ल्यूएच में परिकलित किया जाएगा ।